इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025—फाल्गुन 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. 3434—49—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर **दिनांक 18 मार्च 2025** को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२५

[दिनांक १८ मार्च, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ मार्च, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२५ है.

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए राज्य की संचित निधि में से रु १,६२,०६,७६,००,५२६ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये उन्नीस हजार दो सौ छः करोड़ उनयासी लाख पांच सौ उनतीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में, वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	**२००**	२००
००६.	वित्त				
		राजस्व	१००	०	१००
००९.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा				
		राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	३००	०	३००
०१०.	वन				
		राजस्व	१,३१,९२,४४,०००	०	१,३१,९२,४४,०००
		पूंजी	२,९३,०३,०००	०	२,९३,०३,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.	राजस्व	७,२६,००,००,०००	०	७,२६,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	४२,३४,८०,००,४००	०	४२,३४,८०,००,४००
		पूंजी	३००	०	३००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	१,१००	०	१,१००
		पूंजी	२००	०	२००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
		राजस्व	१,२४,३२,१०,२१६	**५,६०,३२२**	१,२४,३८,००,५४१
०१७.	सहकारिता				
		राजस्व	३४,५०,००,०००	०	३४,५०,००,०००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	६,००,००,००,०००	०	६,००,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	३०,००,००,८००	०	३०,००,००,८००
		पूंजी	२८,४४,७०,००,१००	०	२८,४४,७०,००,१००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	५,३८,००,२००	०	५,३८,००,२००
		पूंजी	४००	०	४००
०२३	जल संसाधन				
		पूंजी	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य				
		राजस्व	१,८१,००,००,०००	०	१,८१,००,००,०००
		पूंजी	१२,६२,००,००,०००	**५,००,००,००,०००**	१७,६२,००,००,०००
०३०.	ग्रामीण विकास				
		पूंजी	८,०५,३६,००,०००	०	८,०५,३६,००,०००
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	१,६००	०	१,६००
		पूंजी	८,००,००,३००	०	८,००,००,३००
०३३.	जनजातीय कार्य				
		राजस्व	८३,००,००,०००	०	८३,००,००,०००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		राजस्व	१०,७५,८०,००,०००	०	१०,७५,८०,००,०००
०३६.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी	२०,००,००,००,०००	०	२०,००,००,००,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण				
		पूंजी	१००	०	१००
०४४.	उच्च शिक्षा				
		पूंजी	०	**१४,३६,५६०**	१४,३६,५६०
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	१,७१,४४,१०,०२८	०	१,७१,४४,१०,०२८

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		राजस्व	१६,६०,००,०००	०	१६,६०,००,०००
		पूंजी	२८,६४,५०,००,०००	०	२८,६४,५०,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	४४,००,००,०००	०	४४,००,००,०००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	३,८०,००,००,०००	०	३,८०,००,००,०००
योग	राजस्व	:	७८,८६,०६,६८,७४७	**५,६०,३२२**	७८,८६,१२,५६,०६६
	पूंजी	:	१,०८,१७,५२,०४,७००	**५,००,१४,३६,७६०**	१,१३,१७,६६,४१,४६०
	वृहद् योग	:	१,८७,०६,५८,७३,४४७	**५,००,२०,२७,०८२**	१,६२,०६,७६,००,५२६

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. 3434–49–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, **मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)** का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2025

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 18th March, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th March, 2025.]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2024-2025.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2025.

Issue of Rs. 1,92,06,79,00,529 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2024-2025.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Nineteen thousand two hundred six crore seventy nine lakh five hundred twenty nine towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2024-2025 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes		(3) Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
..	Charged Appropriation-Public Debt.	Capital	0	**200**	200
006.	Finance	Revenue	100	**0**	100
009.	New and Renewable Energy	Revenue	300	**0**	300
		Capital	300	**0**	300
010.	Forest	Revenue	1,31,92,44,000	**0**	1,31,92,44,000
		Capital	2,93,03,000	**0**	2,93,03,000

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
011.	Industrial Policy and Investment Promotion.	Revenue	7,26,00,00,000	**0**	7,26,00,00,000
012.	Energy	Revenue	42,34,80,00,400	**0**	42,34,80,00,400
		Capital	300	**0**	300
013.	Farmers Welfare and Agricultural Development.	Revenue	1,100	**0**	1,100
		Capital	200	**0**	200
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development.	Revenue	1,24,32,10,219	**5,90,322**	1,24,38,00,541
017.	Co-operation	Revenue	34,50,00,000	**0**	34,50,00,000
018.	Labour	Revenue	6,00,00,00,000	**0**	6,00,00,00,000
020.	Public Health Engineering	Revenue	30,00,00,800	**0**	30,00,00,800
		Capital	28,44,70,00,100	**0**	28,44,70,00,100
022.	Urban Development and Housing.	Revenue	5,38,00,200	**0**	5,38,00,200
		Capital	400	**0**	400
023.	Water Resources	Capital	10,00,00,00,000	**0**	10,00,00,00,000
024.	Public Works	Revenue	1,81,00,00,000	**0**	1,81,00,00,000
		Capital	12,92,00,00,000	**5,00,00,00,000**	17,92,00,00,000
030.	Rural Development	Capital	8,05,39,00,000	**0**	8,05,39,00,000
031.	Planning, Economics and Statistics.	Revenue	1,600	**0**	1,600
		Capital	8,00,00,300	**0**	8,00,00,300
033.	Tribal Affairs	Revenue	83,00,00,000	**0**	83,00,00,000

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
035.	Micro, Small & Medium Enterprises.	Revenue	10,75,80,00,000	**0**	10,75,80,00,000
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.	Capital	20,00,00,00,000	**0**	20,00,00,00,000
043.	Sports and Youth Welfare	Capital	100	**0**	100
044.	Higher Education	Capital	0	**14,36,560**	14,36,560
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue	1,71,44,10,028	**0**	1,71,44,10,028
048.	Narmada Valley Development.	Revenue	16,90,00,000	**0**	16,90,00,000
		Capital	28,64,50,00,000	**0**	28,64,50,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	50,00,00,000	**0**	50,00,00,000
050.	Horticulture And Food Processing.	Revenue	44,00,00,000	**0**	44,00,00,000
054.	Backward Classes Welfare	Revenue	3,80,00,00,000	**0**	3,80,00,00,000
	Total	**Revenue** —	78,89,06,68,747	**5,90,322**	78,89,12,59,069
		Capital —	1,08,17,52,04,700	**5,00,14,36,760**	1,13,17,66,41,460
	Grand Total	—	1,87,06,58,73,447	**5,00,20,27,082**	1,92,06,79,00,529

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.